

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमेरी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बंदायू, भदोही, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्लखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कासगंज, कौशाम्बी, खीरी, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुन्नरा, पीलीभीत, सम्भल, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, सुल्तानपुर।

पत्रांक:-अ०नि० / यू०आई०पी० / कैम्प / इन्द्रधनुष / 2015 / १५९४२-५५

दिनांक:- 16-3-15

विषय:-मिशन इन्द्रधनुष अभियान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधोहसताक्षरी के पत्र संख्या अ०नि० / यू०आई०पी० / कैम्प / इन्द्रधनुष / 2015 / 14209-44 दिनांक 20.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण में गुणात्मक सुधार हेतु देश के 201 जनपदों को चिह्नित करते हुए 'मिशन इन्द्रधनुष' कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 44 जनपद उत्तर प्रदेश में आते हैं। उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 10 व 12 मार्च, 2015 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में संबंधित 44 जनपदों के जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०को, उ०प्र० शासन, मिशन निदेशक, एन०एच०एम० तथा मुहानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित कर मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम को प्रभावी एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया:-

1. जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत कर समस्त सहयोगी विभागों जैसे आई०सी०डी०एस०, पंचायती राज तथा अन्य पार्टनर्स डब्लू०एच०ओ०, यूनीसेफ, रोटरी, यू.एन.डी.पी., कोर, टी.एस.यू., एम.आई. इत्यादि कार्यक्रम की कार्ययोजना, कियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार में यथासंभव समुचित सहयोग सुनिश्चित किया जाये।
2. सभी 44 जनपदों में राज्य कार्यशाला के क्रम में जिला स्तरीय कार्यशालायें आयोजित कर ब्लाक चिकित्साधिकारियों, संबंधित जिला स्तरीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एन.एच.एम. के अधिकारीगण, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर.सी.एच.), कोल्ड चेन हैंडलर, डाटा हैंडलर इत्यादि का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये।
3. जनपद कार्यशालाओं के क्रम में संबंधित चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने-अपने ब्लाक पी०एच०सी० पर सभी ए०एन०एम० को बुलाकर दिये गये निर्देशानुसार मिशन इन्द्रधनुष की कार्ययोजना तैयार की जायेगी तथा मिशन इन्द्रधनुष के चिह्नित क्षेत्रों में प्रत्येक दशा में आशा, आंगनबाड़ी अथवा लिंक वर्कर द्वारा लाभार्थियों के हेडकाउंट के आधार पर डृयू लिस्ट बनाना सुनिश्चित किया जाये।

भारत सरकार द्वारा प्रेषित मिशन इन्द्रधनुष की एस.ओ.पी. जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी है तथा यह ई-मेल लिंक के द्वारा डब्लू०एच०ओ०-एस०एम०ओ० कार्यालय में भी उपलब्ध है।

उक्त दिशा-निर्देशा के अनुसार कार्यक्रम की समुचित कार्ययोजना बनवाते हुए ब्लाक एवं जनपद स्तरीय बैठक का आयोजन कर गुणवत्तापरक एवं सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाये। वैक्सीन, लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन, ओपन वायल पालिसी, ए०ई०एफ०आई० प्रबंधन इत्यादि का समुचित पालन करते हुए मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम सम्पादिज किया जाये।

मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर समुदाय में कार्यक्रम के विषय में जागरूकता उत्पन्न करायी जाये तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से भी सामुदायिक जागरूकता का प्रसार किया जाये।

कार्यक्रम की प्रत्येक स्तर पर दैनिक समीक्षा हेतु जिला स्तरीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इत्यादि को ब्लाक आवंटित करें तथा संलग्न प्रपत्र पर समस्त विभागीय सुपरवाईज़ार एवं अधिकारियों द्वारा मिशन इन्द्रधनुष के दो से तीन सत्र स्थल का पर्यवेक्षण कराना सुनिश्चित करें। सांयकालीन

ब्लाक एवं जनपद स्तरीय बैठक आहूत कर संबंधित पर्यवेक्षकों, अधिकारियों एवं मॉनीटरों से फीड बैक प्राप्त हुए सुधारात्मक कार्यवाही कर मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम की शत्-प्रतिशत् गुणवत्ता सुनिश्चित करें। मिशन इन्द्रधनुष की दैनिक रिपोर्टिंग निर्धारित संलग्न प्रपत्रों पर ब्लाक/जिला स्तर पर की जानी अभियान की उपलब्धि को एच०एम०आई०एस० रिपोर्टिंग में भी सम्मिलित किया जायेगा। अतः उक्त निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए एवं प्रतिदिन समीक्षा करके इस कार्यक्रम सफल बनाने में पूर्ण योगदान करना सुनिश्चित करें। संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
१८/१८
(ए०पी० चतुर्वेदी),
राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी।

दिनांकित।

पत्रांक:-अ०नि०/य०आई०पी०/कैम्प/इन्द्रधनुष/२०१५/

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
 2. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, विशाल काम्लेक्स, 19 ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
 3. उपायुक्त (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
 5. अधिशाषी निदेशक, टी०एस०य००, लखनऊ।
 6. आर०टी०एल०, एन०पी०एस०पी०, डब्लू०एच०ओ० लखनऊ।
 7. कार्यक्रम अधिकारी, यूनीसेफ, कोर, रोटरी, पी०एच०एफ०आई०-आई०टी०एस०य००, य००एन०डी०पी०, लखनऊ।

✓
(ए०पी० चतुर्वेदी),
राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी।